

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. बिहार का परिचय

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि राज्य ने 2003-04 से 2012-13 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 18.04 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों¹ का विकास दर 16.37 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि² 13.22 प्रतिशत की तुलना में 14.11 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2003-04 से 2012-13 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.32 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.94 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004-05) के वार्षिक विकास की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5303567	6108903	7266967	8353495	9461013
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	142279	164547	198135(पी) ³	246487(क्यू)	294388(ए)
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशत)	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43

(स्रोत: केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजना आयोग के आंकड़ें)

¹ ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

² सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा, तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

³ (पी- अनंतिम, क्यू- त्वरित, ए-अग्रिम)।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पांच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि **परिशिष्ट 1.3 भाग 'ख'** में दर्शाया गया है। एफ. आर. बी. एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.3 के भाग 'ख'** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2012-13 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					गैर-योजना	योजना	योग
खण्ड—'क' राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	51320.17	59566.66	राजस्व व्यय	46499.49	37573.69	16892.46	54466.15
कर राजस्व	12612.10	16253.08	सामान्य सेवाएँ	17729.72	18570.99	74.12	18645.11
करेत्तर राजस्व	889.86	1135.27	समाजिक सेवाएँ	18728.78	11078.22	12029.15	23107.37
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	27935.23	31900.39	आर्थिक सेवाएँ	10037.82	7920.77	4789.19	12709.96
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	9882.98	10277.92	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.17	3.71	0.00	3.71
खण्ड—'ख' पूँजी एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	8852.01	93.15	9491.37	9584.52
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22.51	24.70	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1906.08	104.07	1981.88	2085.95
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6627.96	9553.96	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2922.46	-	-	3069.96
अंतर्राज्यीय परिशोधन	75.41	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.39	-	-	0.00
आकस्मिकता निधि	800.00	2250.00	आकस्मिकता निधि	800.00	-	-	2250.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	22302.61	27066.21	लोक लेखा संवितरण	21393.22			24798.82
प्रारंभिक नकद शेष	2735.44	1509.45	अंतिम नकद शेष	1509.45	-	-	3715.58
योग	83884.10	99970.98	योग	83884.10			99970.98

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2012-13)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715.69 करोड़) अधिक हो गया। अपने कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री कर में 133 प्रतिशत (₹ 1103.82 करोड़), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में 47 प्रतिशत (₹ 692.95 करोड़), राज्य उत्पाद में 23 प्रतिशत (₹ 448.84 करोड़) तथा वाहन पर कर में 18 प्रतिशत (₹ 104.26 करोड़) में वृद्धि है।
- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) से अधिक हो गया। यद्यपि करेत्तर राजस्व 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 1907.27 करोड़) के निर्धारण से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) नीचे था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग एवं पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के योगदान तथा वसूली में क्रमशः ₹ 68 करोड़ तथा ₹ 149.55 करोड़ की वृद्धि था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) में 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था।
- वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 10.61 प्रतिशत (₹ 3614.59 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 23.87 प्रतिशत (₹ 5084.58 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 9.73 प्रतिशत (₹ 2.19 करोड़) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 9.44 प्रतिशत (₹ 179.87 करोड़) की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में संवितरण में ₹ 177.68 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 8.28 प्रतिशत (₹ 732.51 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 21.36 प्रतिशत (₹ 4763.60 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 15.92 प्रतिशत (₹ 3405.60 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामतः पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा में ₹ 1358 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 44.15 प्रतिशत (₹ 2926 करोड़) की वृद्धि हुई परिणामतः इसके पुनर्भुगतान में 5.05 प्रतिशत (₹ 147.50 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 2778.50 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- इन लेन-देन के परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 146.15 प्रतिशत (₹ 2206.13 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। एफ. आर. बी. एम. अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम बिहार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने छः वर्ष विलंब के पश्चात् वर्ष 2012-13 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम टी एफ पी) फरवरी 2013 में बनाया था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को वर्ष 2012-13 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ. आर. बी. एम. अधिनियम 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परन्तु सितम्बर 2013 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा


राजकोषीय परिवर्ती कारक	2012-13				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ आर बी एम अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/एम टी एफ पी में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+) (₹ करोड़ में)	शून्य राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य	शून्य प्रतिशत राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य	(-) 7088.59	(-) 8028.06	5100.51
राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3	3	2.87	2.97	2.22
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	44.60	44.60	28.11	प्रक्षेपित नहीं	25.99

(स्रोत: वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवाँ वित्त आयोग, एफ आर बी एम अधिनियम, बजट तथा एम टी एफ पी आँकड़े)

राज्य सरकार को वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। चार्ट 1.1 वर्ष 2012-13 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.5 में भी दिया गया है।



(स्रोत: बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, 2012-13)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक आँकड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 8481 करोड़ (12 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन की तुलना में ₹ 2007 करोड़ (64 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व में कमी होना था। तथापि कर राजस्व में ₹ 558 करोड़ (चार प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 6493 करोड़ (11 प्रतिशत) एवं ₹ 8143 करोड़ (46 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3548 करोड़ सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2525 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 420 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 1988 करोड़ (28 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 8481 करोड़ की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 6493 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 7569 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 1024 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गए प्रावधानों से राजस्व अधिशेष ₹ 1988 करोड़ कम था।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 266 करोड़ की कमी हो गयी।

1.2 राज्य के संसाधन[#]


राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह—राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत

[#] वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य का संसाधन।

(बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्ति तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।


चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप-घटक

(₹ करोड़ में)



* कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं।
(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2012-13)


चार्ट 1.3 वर्ष 2008-13 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में ₹ 55861 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 96212 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 15863 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2012-13 के कुल प्राप्तियों (₹ 96212 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है।



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2012-13)

* कुल प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ शामिल हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 62 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2011-12 के ₹ 51320 करोड़ से 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 59567 करोड़ हो गया।

पूँजीगत प्राप्तियों 61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में ₹ 5939 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 9579 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में पूँजीगत प्राप्तियों, कुल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत था।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। उपर्युक्त चार्ट में यह देखा जा सकता है कि औसतन वर्ष 2012-13 के दौरान यह कुल प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


1.2.1 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को हस्तांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः इनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखे में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्व परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8314.38 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) (₹ 3082.53 करोड़ अर्थात् 37 प्रतिशत), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (₹ 2754.62 करोड़ अर्थात् 33 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 959.75 करोड़ अर्थात् 12 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 757.95 करोड़ अर्थात् नौ प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ


वित्त लेखा का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **परिशिष्ट 1.7** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

⁴ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

चार्ट 1.6: वर्ष 2008–13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक (प्रतिशत)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2008–09 में ₹ 32981 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 59567 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2008–09 में 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 17 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोतों में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2008–13 के दौरान 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य ने केन्द्रीय कर हस्तांतरण का उच्च विकास दर हासिल किया जो यह वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक 54 प्रतिशत रहा, केवल वर्ष 2009–10 के दौरान यह 51 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व वर्ष 2008–09 में तीन प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–10 में पाँच प्रतिशत हो चुका था परन्तु यह वर्ष 2010–11 में घटकर दो प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2012–13 तक स्थिर रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.91	7.72	25.35	15.24	16.07
राज्य का अपना कर	6173	8090	9870	12612	16253
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.37	31.05	22.00	27.78	28.87
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	142279	164547	198135	246487	294388
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.18	21.59	22.48	20.82	20.23
उत्पलावकता अनुपात⁵					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	0.86	0.49	1.24	0.62	0.83
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना उत्पलावकता	1.09	1.98	1.08	1.14	1.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य वित्त लेखा)

⁵ उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे—राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियों 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2008-13 के दौरान दो अंको में रहा सिवाय वर्ष 2009-10 के जब यह वर्ष 2010-11 में 25.35 प्रतिशत से घटकर 15.24 प्रतिशत हो गया तथापि यह वर्ष 2012-13 में पुनः बढ़कर 16.07 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2008-09 तथा 2012-13 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पादकता अनुपात 1.08 प्रतिशत से 1.98 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वर्ष 2012-13 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	10537	15695	16253
करेत्तर राजस्व	1907	3142	1135

(स्रोत: राज्य वित्त लेखा, बजट तथा तेरहवें वित्त आयोग के अँकड़े)

यद्यपि राज्य का कर राजस्व वर्ष 2012-13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 5716 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 558 करोड़ अधिक था तथापि करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 772 करोड़ तथा ₹ 2007 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012-13 में करेत्तर राजस्व संग्रह पूर्व वर्ष से ₹ 245.41 करोड़ अधिक था इसका मुख्य कारण अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग में ₹ 68 करोड़ तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में योगदान तथा वसूली में ₹ 149.55 करोड़ की वृद्धि हुई तथापि ब्याज प्राप्तियों में ₹ 406.58 करोड़ की कमी आई।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 163 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में ₹ 6173 करोड़ से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 16253 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक तालिका 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाये गये हैं।


तालिका 1.6: वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य के अपने कर स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3016	3839	4557	7476	8671	16
राज्य उत्पाद	679	1082	1523	1981	2430	23
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	716	998	1099	1480	2173	47
वाहन पर कर	298	345	456	569	673	18
भू-राजस्व	102	124	139	168	205	22
माल एवं यात्री पर कर	1279	1613	2006	828	1932	133
अन्य कर	83	89	90	110	169	54
योग	6173	8090	9870	12612	16253	29

(स्रोत: संबंधित वर्ष का राज्य वित्त लेखा)

चार्ट 1.7 : वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व के मुख्य संघटक
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था यह वर्ष 2008-09 में 49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 53 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2008-09 में 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2008-09 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2008-09 में पाँच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में चार प्रतिशत हो गया।
- माल तथा यात्री पर कर का अंश भी वर्ष 2008-09 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 12 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2008-13 के दौरान एक प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.3.1.2 करेतर राजस्व


वर्ष 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेतर राजस्व (₹ 1135 करोड़) 1.91 प्रतिशत था। करेतर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 245 करोड़ अधिक था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.7** तथा **चार्ट 1.8** में प्रदर्शित किया गया है। करेतर राजस्व के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग (₹ 68 करोड़) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 150 करोड़) में वृद्धि हुई परन्तु ब्याज प्राप्तियों (₹ 407 करोड़) में कमी हुआ।

तालिका 1.7 : करेतर राजस्व का विकास दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेतर राजस्व)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियों	306.71	353.27	237.96	573.70	167.12	(-71)
लाभांश एवं लाभ	0.00	2.06	2.53	1.40	2.55	82
अन्य करेतर प्राप्तियों	846.61	1315.09	745.04	314.76	965.60	207
योग	1153.32	1670.42	985.53	889.86	1135.27	

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2008-09 में ₹ 7962 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 10278 करोड़ हो गया जिसे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजना अनुदान	2550.44	2256.20	1924.78	2562.62	2412.58
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	3600.08	3720.97	5456.95	5065.39	5051.97
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	134.94	137.71	175.70	95.78	35.69
केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1676.66	1449.28	2141.13	2159.19	2777.68
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	7962.12	7564.16	9698.56	9882.98	10277.92
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	36.53	(-5.00)	28.22	1.90	4.00
राजस्व प्राप्तियों	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	24.14	21.29	21.78	19.26	17.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा अनुदान में ₹ 395 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 619 करोड़) हेतु सहायता अनुदान में वृद्धि, गैर-योजना (₹ 150 करोड़) तथा केन्द्रीय योजनागत योजना (₹ 60 करोड़) हेतु अनुदान में कमी था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान में निरंतर कमी हुई जो भारत सरकार के अनुदान पर निर्भरता कम होने का सूचक है।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटा की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2012-13 के दौरान शहरी विकास, उद्योग, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से क्रमशः ₹ 163.79 लाख, ₹ 30.82 लाख, ₹ 13.36 लाख तथा ₹ 1876.75 लाख का ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने उठाया।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 31900.39 करोड़) प्राक्कलन (₹ 33126.33 करोड़) से (₹ 1225.94 करोड़) घट गया। तथापि पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 3965 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 463 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 1275 करोड़) सेवा कर (₹ 1324 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 458 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में ₹ 5939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 9579 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का विकास एवं रचना की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.9: प्राप्तियों के विकास एवं रचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	5939	6148	6044	6726	9579
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	149.86	764.32	781.53	826.56	508.02
ऋण एवं अग्रिम की वापसियाँ	11	13	12	23	25
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5928	6134	6032	6628	9554
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	268 ⁶	03	(-) 2	10	44
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	142279	164547	198135	246487	294388
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	263	04	(-) 2	11	42

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

⁶ वर्ष 2008-09 में ₹ 5928 करोड़ की वृहत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2007-08 में लोक ऋण प्राप्ति सिर्फ ₹ 1612 करोड़ थी।

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूली

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2011-12 में ₹ 23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 25 करोड़ हो गयी। इसमें ₹ 3.76 करोड़ के सहकारिता के लिए ऋण, ₹ 8.03 करोड़ के अन्य ऋण तथा ₹ 12.91 करोड़ के सरकारी सेवक को ऋण सम्मिलित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 में ₹ 6628 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 9554 करोड़ (44 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः ₹ 7100 करोड़ का बाजार ऋण, ₹ 902 करोड़ का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण तथा ₹ 1006 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ सम्मिलित थी।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2011-12 में ₹ 826.56 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 508.02 करोड़ (39 प्रतिशत) हो गया जिसमें राज्य योजनागत योजना (एकमुश्त ऋण) हेतु ऋण के ₹ 507.64 करोड़ तथा भवन निर्माण अग्रिम का ₹ 0.37 करोड़ शामिल था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्ति तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। **तालिका 1.10** वर्ष 2008-13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.10 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1153.36	707.19	838.84	1031.81	1296.09
ख. आरक्षित निधि	1302.48	565.67	243.72	1114.53	799.33
ग. जमा एवं अग्रिम	7209.94	6310.96	6624.39	9877.98	15514.80
घ. उचंत एवं विविध	184.45	296.81	334.43	419.14	528.82
ड. प्रेषण	7090.79	7422.76	9279.87	9859.15	8927.17
योग	16941.02	15303.39	17321.25	22302.61	27066.21

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)


लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में ₹ 16941 करोड़ से बढ़कर (₹ 10125 करोड़ से) वर्ष 2012-13 में ₹ 27066 करोड़ (60 प्रतिशत) हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2012-13 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 5637 करोड़ तथा लघु बचत, भविष्य निधि आदि में ₹ 264 करोड़ की वृद्धि था जिसमें वर्ष के दौरान प्रेषण में ₹ 932 करोड़ तथा आरक्षित निधि में ₹ 315 करोड़ की कमी होना शामिल था।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2008–13) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है, वर्ष 2008–09 में ₹ 35499 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 66137 करोड़ हो गया।
- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान कुल व्यय में ₹ 8880 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 7967 करोड़ (17 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 733 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि था।
- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में मुख्य पूँजीगत व्यय अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए ₹ 200 करोड़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (एलोपैथी) के भूमि अधिग्रहण, नए मेडिकल कॉलेज एवं पारा मेडिकल संस्थान के लिए ₹ 113 करोड़, एलोपैथी स्वास्थ्य एवं पोषाहार कार्यक्रम हेतु ₹ 46 करोड़ तथा जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 30 करोड़ था।
- सामान्य शिक्षा में ₹ 13957 करोड़ का मुख्य राजस्व व्यय था। यह व्यय मुख्यतः गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हुआ।
- वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्व लेखा के अंतर्गत विद्युत शक्ति प्रक्षेत्र में व्यय ₹ 3193 करोड़ था। मुख्य व्यय लोक प्रक्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को दी गयी सहायता के अधीन हुआ।

कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं है।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदण्ड की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.11 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.11: राजस्व व्यय— आधारभूत मापदण्ड

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	28512	32584	38216	46499	54466
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	21232	24145	27316	34012	37574
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	7280	8439	10900	12487	16892
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	21.00	14.28	17.28	21.67	17.13
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.18	13.72	13.13	24.51	10.47
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	51.54	15.92	29.16	14.56	35.28
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत	80.32	79.84	78.77	81.21	82.35
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	14.92	14.67	13.79	13.80	12.76
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशत	59.81	59.16	56.30	59.40	56.81
राजस्व प्राप्तियों में गैर-योजना व्यय का प्रतिशत	64.38	67.96	61.34	66.27	63.08
राजस्व व्यय की उत्पादकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	1.07	0.91	0.85	0.89	0.88
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	1.24	1.85	0.68	1.42	1.07

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 7967 करोड़ (17.13 प्रतिशत) तथा कुल व्यय का 82.35 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 3562 करोड़ (10.47 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति सेवाएँ (₹ 1637 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 130 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 422 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 1039 करोड़) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है। गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 37574 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 45323 करोड़) में किये गये मानकी प्रक्षेप से 21 प्रतिशत कम था। तथापि कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2008-09 में 60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 57 प्रतिशत हो गया।

योजना राजस्व व्यय

योजना राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 4405 करोड़ (35 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 2286 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 457 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 698 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान योजना राजस्व व्यय (₹ 16892 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 33364 करोड़) से ₹ 16472 करोड़ (49 प्रतिशत) कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। तालिका 1.12 तथा चार्ट 1.10 वर्ष 2008-13 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।


तालिका 1.12 : वर्ष 2008-13 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	7545.61 (22.88)	9658.74 (27.19)	10549.85 (23.69)	12193.69 (23.76)	14909.33	13557.88 (22.76)
1 (क)	गैर-योजना शीर्ष	6996.20 (21.21)	9001.42 (25.34)	9954.35 (22.35)	11494.50 (22.40)	14100.66	12865.06 (21.60)
1 (ख)	योजना शीर्ष	549.41 (1.67)	657.32 (1.85)	595.51 (1.34)	699.19 (1.36)	808.66	692.82 (1.16)
2	ब्याज भुगतान	3752.94 (11.38)	3685.48 (10.37)	4319.16 (9.70)	4303.66 (8.39)	5186.00	4428.31 (7.43)
3	पेंशन पर व्यय	3479.03 (10.55)	4318.70 (12.16)	6143.86 (13.80)	7808.45 (15.22)	10043.02	8363.53 (14.04)
4	ऋण की अदायगी	1682.28 (22.29)	1982.99 (20.53)	2190.03 (20.76)	2922.46 (23.97)	3054.48	3069.96 (5.15)
5	सब्सिडी	808.31 (2.45)	944.39 (2.66)	1349.96 (3.03)	2672.27 (5.21)	0.00	4313.45 (7.24)
6	अन्य संघटक	11243.41 (34.09)	11993.87 (33.76)	13663.06 (30.68)	16598.96 (32.34)	27766.44	20733.02 (34.81)
7	योग (1+4+5+6+7)	17268.17 (52.36)	20590.30 (57.96)	24552.86 (55.13)	29900.53 (58.26)	33192.83	33733.13 (56.63)
8	राजस्व प्राप्तियाँ	32980.69	35526.83	44532.32	51320.17	68047.86	59566.66
9	राजस्व व्यय	28511.58	32584.17	38215.92	46499.49	60959.27	54466.15

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2012-13 का बजट)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2011—12 में 23.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012—13 के दौरान 22.76 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 13557.88 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन (₹ 10282.94 करोड़) से ₹ 3274.94 करोड़ अधिक था परन्तु बजट प्राक्कलन (₹ 14909.33 करोड़) से ₹ 1351.45 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2008—09 में ₹ 3479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012—13 में ₹ 8364 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 4885 करोड़ (140 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति के 14 प्रतिशत से अधिक था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 555 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया। 31 अगस्त 2005 अथवा इसके पूर्व भर्ती किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों को दी गयी पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 8363.53 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 15.36 प्रतिशत) था। 01 सितम्बर 2005 को अथवा इसके बाद भर्ती किये गए राज्य सरकार कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मासिक वेतन तथा महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, तथा इतनी ही रकम राज्य सरकार भी अंशदान करती है तथा पूरी रकम राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के जरिये नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि तथा सुमेलित राज्य सरकार का अंशदान का प्राक्कलन नहीं किया गया है परन्तु वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को ₹ 345.01 करोड़ जमा किया जिसमें कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 169.66 करोड़ तथा नियोक्ता के अंशदान के ₹ 175.35 करोड़ सम्मिलित है जिससे 31 मार्च 2013 को योजना के अंतर्गत अंशदान दिये ₹ 203.33 करोड़ का शेष ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना था। असंग्रहित, असुमेलित तथा अहस्तांतरित राशि, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयता प्रदर्शित करता है।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 4428.31 करोड़) पिछले वर्ष से 2.90 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2008—09 में 11.38 प्रतिशत से घटकर 2012—13 में 7.43 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2012—13 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4428.31 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 5125.30 करोड़) तथा बजट प्राक्कलन (₹ 5186 करोड़) द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर्गत था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2008—09 में 22.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012—13 में 5.15 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3054.48 करोड़) से ₹ 15.48 करोड़ (0.5 प्रतिशत) की सामान्य बढ़त हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परन्तु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है की कम वसूली, अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 4313.45 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 61 प्रतिशत अधिक था तथा राजस्व प्राप्ति का 7.24 प्रतिशत था। इसमें से, संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 2160 करोड़, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आवधिक लाभ हेतु ₹ 234.90 करोड़, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के संसाधन पूर्ति

हेतु ₹ 787.31 करोड़, समग्र गव्य विकास परियोजना हेतु ₹ 100 करोड़, ए.एम.जी./ एम.एम.जी/वैट⁷/अस्थगित राशि/पूँजीगत सब्सिडी/डी जी सेट सब्सिडी आदि के संवितरण हेतु ₹ 283.42 करोड़ तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु ₹ 266.89 करोड़ प्रदान किये गये। वर्ष 2012-13 के दौरान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संसाधन पूर्ति पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 27 करोड़ अधिक था।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2008-13 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे तालिका 1.13 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.13: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	966.80	613.07	1940.11	5581.07	8331.34
नगर निगम एवं नगर निकाय	950.04	997.68	690.21	557.30	873.56
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	900.05	1395.22	1515.34	2534.41	2595.15
विकास एजेन्सियाँ	26.84	984.13	394.24	3029.74	3079.26
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	20.51	33.44	53.67	25.00	-
अन्य संस्थाएँ	1558.25	356.33	28.25	2716.16	2574.43
योग	4422.49	4379.87	4621.82	14443.68	17453.74
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	15.51	13.44	12.09	31.06	32.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2011-12 में वित्तीय सहायता ₹ 14444 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 17454 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3010 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 2750 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 317 करोड़) तथा विकास एजेन्सियाँ (₹ 49 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 142 करोड़ की कमी आई। शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 8331 करोड़) पर व्यय का विश्लेषण करने से प्रकट हुआ कि मुख्य व्यय सर्व शिक्षा अभियान (₹ 2723 करोड़), मध्याह्न भोजन योजना (₹ 1136 करोड़) में हुआ। जिला परिषद् एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 2595.15 करोड़) में मुख्य व्यय ग्राम पंचायत सामान्य आधारभूत अनुदान (₹ 429 करोड़), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (₹ 321 करोड़) तथा पंचायत समिति सामान्य आधारभूत अनुदान (₹ 185 करोड़) में हुआ। इसी प्रकार, विकास एजेन्सियों में, मुख्य व्यय मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (₹ 182 करोड़) एकीकृत आवास एवं झुग्गी बस्ती क्षेत्र विकास परियोजना (₹ 157 करोड़) तथा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना (₹ 140 करोड़) में हुआ।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिदा सेवाओं के लिए लागत-परिणाम संबंध का आकलन)।

⁷ ए.एम.जी.—वार्षिक निम्नतम गारंटी, एम.एम.जी.—मासिक निम्नतम गारंटी, वी.ए.टी.—मूल्य वर्धित कर।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.14 वर्ष 2012-13 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.14 : वर्ष 2009-10 तथा 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./जी.एस.डी.पी.	डी.ई.*/ए.ई.	एस.एस.ई./ए.ई.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा/ए.ई.	स्वास्थ्य/ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10*	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
बिहार का औसत (अनुपात) 2009-10	24.80	69.15	35.06	17.97	18.99	3.70
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
बिहार का औसत (अनुपात) 2012-13	22.47	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63

* जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार

ए.ई.— संचयी व्यय, डी.ई.—विकास व्यय, एम.एस.ई.—सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.—पूँजीगत व्यय,

डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल हैं: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों⁸ पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स⁹ के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय¹⁰ के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है। कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.15 में दर्शायी गयी है।

⁸ विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

⁹ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि।

मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है।

¹⁰ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है।

तालिका 1.15 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2011-12		2012-13	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	0.32	43.28	2.00	35.77
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	15.11	72.89	23.45	79.64
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16.23	11.59	10.92	8.90
योग (एस.एस.)	4.81	43.21	5.87	36.80
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.77	23.78	2.81	14.76
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.96	47.15	67.97	65.89
विद्युत एवं ऊर्जा	4.51	-	5.15	0.00
परिवहन	83.75	23.30	80.05	24.59
योग (ई.एस.)	50.26	20.34	40.49	15.70
योग (एस.एस.+ई.एस.)	25.98	36.05	20.23	30.27

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

क्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 में 25.98 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 20.23 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2011-12 में 36.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 30.27 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 4.81 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 5.87 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 50.26 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 40.49 प्रतिशत हो गयी। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास तथा आर्थिक सेवाएँ में कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप तथा परिवहन के अंतर्गत देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2011-12 में 43.21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 36.80 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी का अंश वर्ष 2011-12 में 20.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 15.70 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (7.51 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (2.61 प्रतिशत) के अंतर्गत एवं आर्थिक सेवाओं में कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप (9.02 प्रतिशत) के अंतर्गत था।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरुद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तालिका 1.16 में 31 मार्च 2013 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गयी है। सम्मिलित रूप से 298 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3829.75 करोड़) को मार्च 2013 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1487.57 करोड़ अवरुद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2013[§] को शून्य से 99 प्रतिशत के बीच रही।

[§] वित्त लेखा वर्ष 2012-13 का परिशिष्ट - X।

तालिका 1.16 अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/परियोजना	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2013 तक प्रगतिशील व्यय
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	132	671.09	289.92
जल संसाधन	124	2832.58	1009.81
भवन निर्माण	22	230.96	142.74
पथ निर्माण	16	77.51	35.09
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	15.11	8.43
ग्रामीण कार्य	2	2.50	1.58
योग	298	3829.75	1487.57

(स्रोत: वर्ष 2012-13 के राज्य वित्त लेखा)

कार्य पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 941.17 करोड़ निवेश किया जो कि तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	832.18	856.18	905.24	920.82	941.17
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.14	2.06	2.53	1.40	2.55
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.26	0.24	0.28	0.15	0.27
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर ¹¹	7.93	6.48	6.87	6.35	5.79
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	7.67	6.24	6.59	6.20	5.52

(संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखा)

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 941.17 करोड़ के निवेश के विरुद्ध केवल ₹ 2.55 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1.17 में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.24 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2008-13 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.68 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर को वर्ष 2010-11 से उत्तरोत्तर घटते क्रम में दर्शाया गया है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के बीच अंतर में घटते क्रम की प्रवृत्ति थी।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 941.17 करोड़ में, 40 सरकारी कंपनियों में ₹ 420.71 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 380.97 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.18 करोड़, नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा साझेदारी एवं स्थानीय निकायों में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 20.35 करोड़ का निवेश किया। इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 17.70 करोड़ का निवेश किया गया।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

¹¹ ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान* 100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।

तालिका 1.18 31 मार्च 2013 में लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.18: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की राशि	2010-11	2011-12	2012-13
पूर्व शेष	15551.42	16642.19	18525.76
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	1102.63	1906.08	2085.95
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	11.86	22.51	24.70
अंतिम शेष	16642.19	18525.76	20587.01
निवल योग	1090.77	1883.57	2061.25
ब्याज प्राप्तियाँ	237.96	573.70	167.12
बकाया ऋण तथा अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	1.43	3.10	0.81
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.87	6.35	5.79
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)5.44	(-)3.25	(-)4.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2011-12 में ₹ 1906.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2085.95 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2011-12 में ₹ 22.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 24.70 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्ति की वसूली कम होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2011-12 में 3.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 4.98 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.19 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.19 नगद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2013 को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	1509.45	3715.58	2206.13
नगद शेष से निवेश (क से घ)	434.46	2074.37	1639.91
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	429.81	2069.72	1639.91
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क से ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	676.53	931.48	254.95
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	676.43	931.38	254.95
ब्याज प्राप्ति	236.53	128.42	(-)108.11

* वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ा

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 1509.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 3715.58 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2013 को ₹ 429.81 करोड़ से बढ़कर ₹ 2069.72 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 254.95 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश पर ₹ 128.42 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2011-12 के दौरान वसूले गये ब्याज (₹ 236.53 करोड़) से ₹ 108.11 करोड़ कम था।

तथापि, बिहार सरकार ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक बाजार से उधारी का सहारा लिया यद्यपि उसके पास उन वर्षों के दौरान उपर्युक्त नकद शेष था। इस प्रकार, उधारी,

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के विपरीत था जबकि उपलब्ध नकद शेष, कोषागार विपत्र में निवेशित रहा।

1.9 परिसंपत्ति एवं देयता

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयता तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। **परिशिष्ट 1.8** 31 मार्च 2012 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 तक की ऐसी देयता तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयता राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयता है। संचित निधि देयता में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 राजकोषीय देयता


तालिका 1.20 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका : 1.20 बकाया राजकोषीय देयता¹²

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राशि (₹ करोड़ में)	54976.75	58689.91	62858.01	67811.84	76503.07
वृद्धि दर	7.82	6.75	7.10	7.88	12.82
राजकोषीय देयता का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.386	0.357	0.317	0.275	0.260
राजस्व प्राप्ति	1.667	1.652	1.412	1.321	1.284
स्वयं के संसाधन	7.504	6.013	5.791	5.022	4.400
राजकोषीय देयताओं का उत्पादकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.398	0.432	0.348	0.323	0.660
राजस्व प्राप्ति	0.462	0.875	0.280	0.517	0.798
स्वयं के संसाधन	0.256	0.203	0.633	0.323	0.445

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2008-09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता का संघटक चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

¹² बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।

उपर्युक्त तालिका 1.20 में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयता वर्ष 2011-12 में ₹ 67811.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयता की वृद्धि दर 2011-12 के 7.88 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 12.82 प्रतिशत हो गया। तथापि राजकोषीय देयता एवं जी.एस.डी.पी. अनुपात वर्ष 2008-09 में 38.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 25.99 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रतिमान 30 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 44.60 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2012-13 के अंत में देयता राजस्व प्राप्ति का 1.28 गुणा तथा राज्य के अपने स्रोतों का 4.40 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.323 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.660 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखा) के लेखा में 'ज' प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त इन निधियों को ब्याज वाली निधि तथा बिना ब्याज निधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं जो उन स्रोतों पर आधारित होते हैं जिसमें से पोषित होते हैं।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान जैसे: केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उद्देश्यों जैसे शून्यहास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखा के अनुसार, राज्य सरकार के लेखा में छह आरक्षित निधि¹³ सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2012 को ₹ 1516.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 544.38 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 268.44 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2013 को ₹ 1792.38 करोड़ का शेष रह गया। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 544.38 करोड़ में से केवल ₹ 268.44 करोड़ (50 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जो अनावश्यक प्रावधान को सूचित करता है।

ऋण-निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 676.43 करोड़ था तथा ₹ 254.95 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2013 को अंत शेष ₹ 931.38 करोड़ था।

¹³ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों एवं मूल्य हास/नवीकरण आरक्षित निधि। वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन-देन नहीं है। इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं है।

1.9.4 आकस्मिक देयता

● प्रत्याभूति की स्थिति

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी गत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.21 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.21: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2010-11	2011-12	2012-13
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	1549.03	2049.03	2046.44
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	587.96	1092.34	1089.23
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.48 (44532)	3.99 (51320)	3.44 (59567)

(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2013 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 2.59 करोड़ कम कर दी गई। 31 मार्च 2013 को प्रत्याभूति की ₹ 1089.23 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) तथा क्रेडिट सहकारी (₹ 157.89 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

● ऑफ-बजट उधारी

सरकारी कंपनी/निगम राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी-कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे ऑफ-बजट उधारी कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2007-13 के दौरान इसने किसी ऑफ-बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी, तालिका 1.22 में दी गयी है।

तालिका 1.22: नगद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2008-09	2507	7081	4574	3557
2009-10	5273	6842	1569	2291
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वृहत नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 4574 करोड़, ₹ 1569 करोड़, ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़ तथा ₹ 4305 करोड़ क्रमशः वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के

दौरान बढ़ गया। वर्ष 2008—13 के दौरान ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 3716 करोड़ के बीच वृहत नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे तालिका 1.22 में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है। ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने पर वचनबाध्यता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

• ऋण विवरणिका

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षों का समयवार विश्लेषण नीचे तालिका 1.23 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.23 : ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उधार ली गयी राशि की निवल उपलब्धता [§]	93.28	28	71	651	4263
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2011—12 में ₹ 651 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012—13 में ₹ 4263 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2012—13 में वित्त लेखा की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 9046 करोड़ का आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ₹ 508 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम, ₹ 17441 करोड़ का अन्य देनदारियाँ ली गई तथा ₹ 2585 करोड़ का आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार को ₹ 485 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान किया, ₹ 15234 करोड़ मूल्य की अन्य देनदारियों को चुकाया तथा ₹ 3481 करोड़ मूल्य के आंतरिक ऋण पर ब्याज, केन्द्र सरकार से ₹ 470 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज तथा ₹ 478 करोड़ मूल्य के लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

• ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता¹⁴ का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह खण्ड, ऋण स्थिरता,¹⁵ गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,¹⁶ उधार ली गई

[§] उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियों—(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

¹⁴ किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

¹⁵ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।

¹⁶ राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

राशियों की निवल अनुपलब्धता¹⁷ ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.24 वर्ष 2008—13 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.24 ऋण निर्वाहता : सूचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	10729.53	(-)226.39	9449.84	7910.80	8318.02
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-)804.00	(-)1524	3372	(-)1485.07	282.02
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	93.28	28	71	651	4263
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व पारित अनुपात)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षों में)					
शून्य से एक वर्ष (2013)					1153.23 (4.45)
एक से तीन वर्ष (2014—2016)					2700.35 (10.41)
तीन से पाँच वर्ष (2017—2018)					2737.05 (10.55)
पाँच से सात वर्ष (2019—2020)					6646.93 (25.63)
सात वर्ष से अधिक (2021 के आगे)					12700 (48.96)
कुल बाजार ऋण					25937.56 (100)

* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2012—13 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।

कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्ष का राज्य का वित्त लेखा)

प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नवत थी—

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण—जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण यथावत स्थिर होगा। वर्ष 2011—12 की तुलना में परिणाम विस्तार के साथ प्रारंभिक अधिशेष ₹ 7910.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012—13 में ₹ 8318.02 करोड़ हुआ यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहता में वृद्धि हुई।

तालिका 1.24 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि कुल ऋण का लगभग 25.41 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्षों के अंदर पुनर्भुगतान किया जाना था तथा शेष 74.59 प्रतिशत का भुगतान इसके बाद होना था। राज्य, वर्ष 2017—18 की अवधि के दौरान ₹ 2737.05 करोड़ वर्ष 2019—20 के दौरान ₹ 6646.93 करोड़ तथा वर्ष 2021 के दौरान एवं उसके बाद ₹ 12700 करोड़ का ऋण पुनर्भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। आने वाले वर्षों में राज्य को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि सूचित करने के लिए अपना ऋण निर्वाहता सुधारण होगा। इन क्रमिक वर्षों में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और उधारी नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.10.1 ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011—12 से 2014—15 तक की अवधि में ऋण—जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन/अधिनियम लाकर राज्यों को उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार

¹⁷ उधार निधियों की निवल उपलब्धता — इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन, ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

ऋण—जी.एस.डी.पी. अनुपात को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2006 के अनुसार 2011-12 में 46.40 तथा वर्ष 2012-13 में 44.60 की सीमा के भीतर रखने हेतु सक्षम था। वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा प्राप्त किया, यह शहरी विकास, उद्योग, पथ परिवहन एवं राजमार्ग तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 163.79 लाख, ₹ 30.82 लाख, ₹ 13.36 लाख तथा ₹ 1876.75 लाख के रूप में दिये गये।

1.10.2 बाजार उधारी पर समीक्षा

1.10.2.1 प्रस्तावना

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधारी आवश्यकताओं को निरूपित करती है। उधारी का लेखा समेकित निधि (ई. लोक ऋण) के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इसके प्रमुख भाग है। आंतरिक ऋण को पुनः बाजार ऋण एवं व्यवसायिक ऋण में विभक्त किया गया है।

बाजार उधारी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की सहमति के बगैर, किसी ऋण का उठाव नहीं कर सकते यदि वे ऋण केन्द्र सरकार पर भारित हो। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के दिनांकित प्रतिभूति, आवधिक राज्य विकास ऋण जारी करती हैं। यह समीक्षा 2008-13 की अवधि के दौरान बिहार सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण की आवश्यकता एवं उपयोग का आकलन करने हेतु है।

1.10.2.2 बाजार उधारी की स्थिति

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान बाजार उधारी की वर्षवार स्थिति तालिका 1.25 में दी गई है।

तालिका 1.25: बाजार उधारी की वर्षवार स्थिति

वर्ष	बाजार ऋण का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान ली गई बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकायी गई बाजार ऋण	अंत शेष	आरंभिक शेष के संदर्भ में निवल बढ़त	विगत वर्ष की तुलना से बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता
2008-09	10706	3397	733	13370	2664	24.88
2009-10	13370	3000	498	15872	2502	18.71
2010-11	15872	2600	892	17580	1708	10.76
2011-12	17580	4000	1406	20174	2594	14.76
2012-13	20174	7100	1336	25938	5764	28.57

(स्रोत: वित्त लेखा/वित्त विभाग)

बाजार उधारी 2008-09 के प्रारंभ में ₹ 10706 करोड़ से 142.28 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 के अंत तक ₹ 25938 करोड़ हो गई। 2008-09 से 2010-11 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारी में घटती हुई प्रवृत्ति दिखी लेकिन 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 1400 करोड़ एवं ₹ 3100 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.10.2.3 ऋण निर्वाहता सूचक

राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता सूचक तालिका 1.26 में दिए गए हैं:-

तालिका 1.26: ऋण निर्वाहता सूचक

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल देयता	54977	58690	62858	67812	76503
लोक ऋण*	39291	43442	47285	50990	57474
कुल बाजार ऋण	13370	15872	17580	20174	25938

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल दायित्व की तुलना में बाजार ऋण की प्रतिशतता	24.32	27.04	27.97	29.75	33.90
लोक ऋण की तुलना में बाजार ऋण की प्रतिशतता	34.03	36.54	37.18	39.56	45.13
बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर—वित्तीय वर्षवार	7.83	8.21	8.50	8.85	8.85
बाजार ऋण पर भुगतित ब्याज	865	1082	1257	1349	1600
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	142279	164547	198135	246487	294388
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.51:1	1.91:1	2.40:1	2.76:1	2.20:1
कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान अनुपात	0.11:1	0.10:1	0.10:1	0.08:1	0.07:1
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा(-)	1246	(-)1588	348	(-)1610	(-)2117
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	4469	2943	6316	4821	5101
राजकोषीय घाटा	2507	5273	3971	5914	6545
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल दायित्वों की प्रतिशतता	38.64	35.67	31.72	27.51	25.99
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले लोक ऋण की प्रतिशतता	27.62	26.40	23.87	20.69	19.52
बकाया प्रत्याभूतियाँ	704	859	588	1092	1089
राजस्व प्राप्तियाँ (आर,आर,)	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले बकाया प्रत्याभूतियों की प्रतिशतता	2.13	2.42	1.32	2.13	1.83

* आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित।

(स्रोत:—सम्बन्धित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल देयता की प्रतिशतता 2008-09 में 38.64 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 25.99 प्रतिशत हो गई, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले लोक ऋण की प्रतिशतता 2008-09 में 27.62 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 19.52 प्रतिशत हो गई। लोक ऋण में बाजार ऋण का हिस्सा 2008-09 में 34.03 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 45.13 प्रतिशत हो गई।

1.10.2.4 बाजार ऋण की विवरणिका

विगत पाँच वर्षों के दौरान ली गई बाजार ऋण की विवरणिका तालिका 1.27 में दी गई है।

तालिका 1.27: बाजार ऋण की विवरणिका

ऋण का आवर्तन	ली गई ऋण की राशि (₹ करोड़ में)					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
> 7 वर्ष	3397	3000	2600	4000	7100	20097
वर्ष के दौरान ली गई कुल ऋण	3397	3000	2600	4000	7100	20097
31 मार्च को कुल बकाया	13370	15872	17580	20174	25938	
कुल बकाया ऋण के मुकाबले ली गई ऋण की प्रतिशतता	25.41	18.90	14.79	19.83	27.37	

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2008—13 के दौरान लिए गए कुल ₹ 20097 करोड़ के बाजार उधारी 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि के थे।

1.10.2.5 बाजार ऋण की भारत औसत परिपक्वता

बंधक समर्थित प्रतिभूति पर आधारित गिरवी की परिपक्वता के पूर्व की शेष औसत अवधि को बंधक समर्थित प्रतिभूति की प्रतिशतता, जिसे प्रत्येक गिरवी संघटित करता है, से भारत किए जाने को भारत औसत परिपक्वता कहा जाता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋण की भारत औसत परिपक्वता की स्थिति तालिका 1.28 में दी गई है।

तालिका 1.28 : बाजार ऋण की भारत औसत परिपक्वता

(वर्षों में)

वर्ष	भारत औसत परिपक्वता	
	वर्ष के दौरान निर्गत	बकाया बाजार ऋण
2008-09	10	6
2009-10	10	6
2010-11	10	6
2011-12	10	6
2012-13	10	7

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

वर्ष 2008—09 से 2012—13 की अवधि के दौरान बाजार उधारी की भारत औसत परिपक्वता 10 वर्षों पर स्थिर रही। 2008—09 एवं 2011—12 के बीच बाजार उधारी के संचित बकाये की भारत औसत परिपक्वता स्थिर रही। तथापि, 2012—13 के दौरान यह बढ़कर सात वर्ष हो गई।

1.10.2.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2014—21 की अवधि के लिए बाजार ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.29 में दी गई है।

तालिका 1.29 : बाजार ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति (31 मार्च 2013)

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2014-15	1433	5.52
2015-16	1267	4.88
2016-17	895	3.45
2017-18	1092	4.21
2018-19	3397	13.10
2019-20	3000	11.57
2020-21	2600	10.02

टिप्पणी:— मार्च 2013 को बकाया ऋण = ₹ 25938 करोड़।

वर्ष 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान बकाया ऋण पर क्रमशः 13.10 प्रतिशत, 11.57 प्रतिशत एवं 10.02 प्रतिशत के सार्थक निर्वहन मोचन दबाव के साथ, अगले सात वर्षों में परिपक्वता राशि, बकाया बाजार ऋण का औसतन 7.54 प्रतिशत होगा।

1.10.2.7 बाजार ऋण के ब्याज दर का विवरणिका

वर्षवार औसत ब्याज दर, जिस पर सरकार द्वारा 2008—13 की अवधि के दौरान बाजार ऋण लिए गए, तालिका 1.30 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.30: बाजार ऋण के ब्याज दर का विवरणिका

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
5 से कम	-	-	-	-	-	-
5 – 5.99	-	-	-	-	-	-
6 – 6.99	750	-	-	-	-	750
7 – 7.99	731	1000	-	-	-	1731
8 – 8.99	1916	2000	2600	3500	6350	16366
9 – 9.99	-	-	-	500	750	1250
10 – 10.99	-	-	-	-	-	-
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.83	8.21	8.50	8.85	8.85	-

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर बढ़ती प्रवृत्ति को सूचित करता है और यह 2008–09 में 7.83 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 8.85 प्रतिशत हो गई।

1.10.2.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.31 विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.31 : राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान	3753	3685	4319	4304	4428
राजस्व प्राप्तियाँ	32981	35527	44532	51320	59567
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.38	10.37	9.70	8.39	7.43

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

2008–13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

1.10.2.9 बजट प्राक्कलन से बाजार उधारी की भिन्नता

2008–09 से 2012–13 के लिए बाजार ऋण से संबंधित बजट प्राक्कलन एवं परिशोधित प्राक्कलन के नमूना जाँच के दौरान बजट प्राक्कलन एवं बाजार उधारी की वास्तविक राशि में अंतर पाया गया जिसे तालिका 1.32 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.32: बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक बाजार उधारी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन के अनुसार बाजार उधारी	वास्तविक बाजार उधारी	बजट प्राक्कलन के प्रतिशत के रूप में वास्तविक बाजार उधारी
2008-09	748	3397	454.14
2009-10	5284	3000	56.78
2010-11	3941	2600	65.97
2011-12	2122	4000	188.50
2012-13	5736	7100	123.78

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

वर्ष 2008—13 की अवधि के दौरान बजट प्राक्कलन की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक बाजार ऋण 56.78 प्रतिशत एवं 454.14 प्रतिशत की बीच रही, जिससे राज्य सरकार द्वारा अवास्तविक बजट प्राक्कलन का बोध होता है।

1.10.2.10 अन्य मुद्दे

बाजार उधारी की उगाही की प्रकिया एवं उसके उपयोग के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं—

(i) पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार उधारी

तेरहवीं वित्त आयोग ने निर्धारित किया कि वृहत् रोकड़ शेष वाले राज्यों द्वारा लगातार प्रयास होना चाहिए कि नई उधारी लेने के पूर्व उपलब्ध रोकड़ शेष का उपयोग किया जाए। तथापि, उधारी के समय पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद बिहार सरकार ने वर्ष 2008—09 से 2010—11 तक बाजार ऋण का सहारा लिया। इस प्रकार, उधारी तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन था जबकि उपलब्ध रोकड़ शेष कोषागार विपन्न में निवेशित रही।

जवाब में, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष के दौरान व्यय एवं राजकोषीय घाटा को पूर्णता में देखे जाने की आवश्यकता है। सिर्फ यह कहना उचित नहीं है कि पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद उधारी ली गई। वित्त विभाग ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में पुनः कहा कि राज्य सरकार सामान्यतः (मार्च महीने को छोड़कर) ₹ 1500 करोड़ से ₹ 2000 करोड़ तक आरक्षित रखने का प्रयास करती है। अतएव राज्य सरकार के द्वारा पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद उधारी ली गई। वित्त विभाग ने यह भी कहा कि वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 में स्थिति सुधरी है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008—09 से 2010—11 तक प्रत्येक बार बाजार ऋण लेते समय कोषागार विपन्न धृति (पखवारा—वार विवरण) ₹ 1500 करोड़ से काफी अधिक थे। वित्त विभाग का 2011—12 एवं 2012—13 में स्थिति में सुधार से संबंधित कथन लेखापरीक्षा के इस दावे की संपुष्टि करता है कि बिहार सरकार ने 2008—09 से 2010—11 तक पर्याप्त रोकड़ शेष होने के बावजूद ऋण का आश्रय लिया। इस प्रकार, वर्ष 2008—09 से 2010—11 में बिहार सरकार द्वारा ली गई ऋण तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप नहीं है जो यह प्रतिज्ञा करता है कि ऋण का सहारा लेने के पूर्व उपलब्ध रोकड़ शेष का उपयोग किया जाना था।

(ii) बाजार उधारी के उपयोगिता की निगरानी हेतु प्रणाली का अभाव

विभागवार/लोक उपक्रम वार/योजना वार तरीके में बाजार ऋण की उपयोगिता पर बिहार सरकार द्वारा निगरानी रखने का कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं पाया गया। तंत्र पर ऐसी निगरानी के अभाव में, उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण का लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन नहीं हो सका। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया (जून 2013) कि विभाग वार/लोक उपक्रम वार/योजना वार तरीके में ऋण की प्रमात्रा वार उपयोगिता संभव नहीं है। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में अपने पूर्व कथन को दोहराया तथा कहा कि केवल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना तथा नाबार्ड से उधारी, विशिष्ट एवं योजना वार है।

(iii) समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान

बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (30 मार्च 2009) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008—09 से आरंभ कर हर वर्ष समेकित निक्षेप निधि में अंशदान किया जाना था जिसके अंतर्गत अंशदान की राशि पूर्व वर्ष की समाप्ति तक बकाया देयता की राशि का कम से कम 0.5 प्रतिशत होनी चाहिए थी। यह पाया गया कि वर्ष 2008—13 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम

आवश्यक राशि का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में नहीं किया। फलस्वरूप, उपर्युक्त अवधि के दौरान निक्षेप निधि में ₹ 545.25 करोड़ का कम अंशदान हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: समेकित निक्षेप निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया देयता	अंशदान			
		वर्ष	न्यूनतम योगदान अर्थात् पूर्व वर्ष की देयता का 0.5 प्रतिशत	वास्तविक अंशदान की राशि	कम अंशदान
2007-08	50989.19	2008-09	254.95	140.00	114.95
2008-09	54976.75	2009-10	274.88	140.00	134.88
2009-10	58689.91	2010-11	293.45	160.00	133.45
2010-11	62858.01	2011-12	314.29	236.43	77.86
2011-12	67811.84	2012-13	339.06	254.95	84.11
योग	295325.70		1476.63	931.38	545.25

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में कहा कि लोक ऋण का 0.5 प्रतिशत समेकित निपेक्ष निधि में अंशदान दिया जा रहा है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार का कथन सही नहीं है क्योंकि समेकित निक्षेप निधि में दिया गया अंशदान बकाया देयता के 0.5 प्रतिशत से काफी कम है जैसा कि तालिका 1.33 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इससे तथ्य की संपुष्टि होती है कि समेकित निक्षेप निधि को कम अंशदान दिया जाता है, जिससे परिपक्वता के समय उधारी के पुनर्भुगतान करते समय संसाधन के आकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अपर्याप्त राजकोषीय प्रबंधन को भी दर्शाता है।

(iv) प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं होना

बारहवीं वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के कंडिका 12.60 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उद्दिष्ट प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना था। पुनः भारत सरकार के लेखाकरण मानक-1 (आई.जी.ए.एस-1) के अनुसार, संघीय सरकार, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (विधान मंडल सहित) की सरकारों के वित्तीय विवरण टिप्पणी में निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख होगा:-

(क) तय सीमा, यदि कोई हो, जिसके तहत सरकार प्रत्याभूति दे सकें,

(ख) यदि प्रत्याभूति मोचन अथवा आरक्षित निधि अस्तित्व में है तथा वर्षारम्भ में निधि में उपलब्ध शेष के प्रकटन सहित इसके विवरण, कोई भुगतान एवं वर्षांत में शेष।

बारहवीं वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार बिहार सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया। आई.जी.ए.एस.-1 की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्याभूति सीमा राज्य के समेकित निधि के सुरक्षा के तहत उल्लिखित नहीं थी।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति दर्शायी और वर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2013) में कहा कि बिहार सरकार ने 1995 से प्रत्याभूति देना बंद कर दिया है, तथापि पिछले दो-तीन वर्षों में कुछ प्रत्याभूति¹⁸ दी गई है। यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन विचाराधीन है तथा इसका सृजन शीघ्र किया जाएगा।


¹⁸ वर्ष 2010-11 के दौरान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड :को ₹ 194.58 करोड़ और वर्ष 2011-12 के दौरान, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, को ₹ 500 करोड़, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम; को ₹ 4.38 करोड़।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने—राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा—किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा प्राप्त तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2008-09 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। चार्ट 1.12 से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 1495 करोड़ की कमी आई परंतु वर्ष 2012-13 में ₹ 280 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 5101 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 7089 करोड़ से काफी कम था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.34: वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.018	0.032	0.020	0.017
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.032	0.020	0.024	0.022
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.009	(-)0.010	0.002	(-)0.007	(-)0.007

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.34 में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 280 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में ₹ 5914 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6545 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.022), वर्ष 2012-13 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः ₹ 1610 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2011-12) बढ़कर ₹ 2117 करोड़ हो गया (2012-13)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्तन हुए हैं जिसे तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान
(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटा की संरचना	(-)2506.97	(-)5273.01	(-)3970.31	(-)5914.90	(-)6545.26
1 राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	4469.11	2942.66	6316.40	4820.68	5100.51
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-)6436.35	(-)7332.09	(-)9195.94	(-)8852.01	(-)9584.52
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)539.73	(-)883.58	(-)1090.77	(-)1883.57	(-)2061.25
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*					
1 बाजार उधारी	3757.12	2501.91	1707.78	2593.90	5763.88
2 भारत सरकार से ऋण	(-)278.81	(-)49.35	316.03	361.08	23.30
3 एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	529.08	1472.52	1533.39	505.56	292.87
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	238.22	226.32	285.20	244.96	403.96
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	144.41	(-)262.86	252.70	(-)2.13	(-)215.55
6 जमा एवं अग्रिम	(-)690.52	(-)134.15	50.94	932.91	2199.05
7 उच्चत तथा विविध	395.96	(-)290.89	1830.68	1238.71	(-)1936.34
8 प्रेषण	(-)221.57	(-)54.82	79.96	-36.82	19.51
9 आरक्षित निधि	293.24	(-)41.69	23.72	335.93	275.94
10 अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	74.02	-
11 संपूर्ण अधिशेष/घाटा	1660.14	-1906.02	6080.37	6248.12	6826.62
12 नकद शेष में वृद्धि/कमी #			-2110.06	333.22	281.36
13 सकल राजकोषीय घाटा			3970.31	5914.90	6545.26
* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्गमन के निवल से विवरण # नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)					

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.36: वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	7100.00	1336.12	5763.88
2	भारत सरकार से ऋण	508.02	484.72	23.30
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	1005.51	712.64	292.87
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	940.43	536.47	403.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1296.09	1511.64	(-)215.55
6	जमा एवं अग्रिम	15514.80	13315.75	2199.05
7	उच्चत तथा विविध	83703.06	85639.40	(-) 1936.34
8	प्रेषण	8927.17	8907.66	19.51

क्रम सं०	विवरण	प्राप्तियाँ	सवितरण	निवल
9	आरक्षित निधि	799.33	523.39	275.94
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
11	संपूर्ण अधिशेष (-) घाटा (+)			6826.62
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी			281.36
13	सकल राजकोषीय घाटा			6545.26

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2012-13)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता है, वह वर्ष 2011-12 में ₹ 5914.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6545.26 करोड़ हो गया परंतु यह बजट प्राक्कलन (₹ 7569.43 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 66.82 प्रतिशत था परंतु यह वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़कर 68.29 प्रतिशत हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में भारत सरकार से ऋण, एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, उचंत विविध तथा आरक्षित निधि में कमी आई। तथापि, वित्तीय संस्था से ऋण, जमा एवं अग्रिम तथा प्रेषण में वृद्धि हुई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा¹⁹ में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयता) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (तालिका 1.37) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

तालिका 1.37 : प्रारंभिक घाटा/अधिशेष-कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति ²⁰	प्रारंभिक राजस्व व्यय ²¹	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (-) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8(2-6)
2008-09	32992	24759	6436	551	31746	8233	(+)1246
2009-10	35540	28899	7332	897	37128	6641	(-)1588
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+)348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-)1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-)2117

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

¹⁹ प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है।

²⁰ राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है।

²¹ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है।

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2008-09 में ₹ 8233 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2009-10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया परंतु वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया तथा अंततः वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में घटकर क्रमशः ₹ 9148 करोड़ तथा ₹ 9554 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं) में वर्ष 2008-09 में ₹ 31746 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 61709 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि वर्ष 2008-09 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 1246 करोड़ था तथापि यह वर्ष 2012-13 में ₹ 2117 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) बढ़ गयी। इस वृद्धि का कारण अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़) तथा संघीय कर एवं शूल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि था। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड़) भी बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715.69 करोड़) अधिक हो गया। करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) अधिक हो गया। तथापि, करेत्तर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गये आकलन (₹ 1907.27 करोड़) से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) कम था।

राजस्व व्यय

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) बढ़ गया। वृद्धि का मुख्य कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि था। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था।

पूँजीगत व्यय

वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 8.28 प्रतिशत (₹ 732.51 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का हस्तांतरण

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों में विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को वृहत मात्रा में निधि का हस्तांतरण करता रहा है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि वर्तमान तंत्र में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती हैं। अतः इनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखा में नहीं होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे ₹ 8314.38 करोड़ हस्तांतरित किया जो पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला ग्रामीण विकास एजन्सी (डी.आर.डी.ए.) (₹ 3082.53 करोड़ अर्थात् 37 प्रतिशत) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 2754.62 करोड़ अर्थात् 33 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 959.75 करोड़ अर्थात् 12 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 757.95 करोड़ अर्थात् नौ प्रतिशत) थे।

निवेश तथा प्रतिलाभ

राज्य सरकार ने संविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारी संस्थाओं में ₹ 941.17 करोड़ का निवेश किया था। विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में राज्य

सरकार द्वारा निवेशित ₹ 941.17 करोड़ में 40 सरकारी कंपनियों में ₹ 420.71 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं में ₹ 380.97 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.18 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनी एवं साझेदारी तथा स्थानीय निकायों में ₹ 3.68 करोड़ निवेशित की गयी। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 20.35 करोड़ का निवेश किया। इसमें से ₹ 17.70 करोड़ का निवेश सरकारी कंपनियों में हुआ।

राजकोषीय असंतुलन

राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2008-09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 76503.07 करोड़ हो गयी। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 280 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में ₹ 5914 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6545 करोड़ हो गया। तथापि राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.022), वर्ष 2012-13 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम्. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर ही था।

बाजार उधारी पर समीक्षा

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान पर्याप्त नकद शेष/कोषागार विपत्र उपलब्ध होने के बावजूद बिहार सरकार ने इन वर्षों में बाजार उधारी का सहारा लिया।

बिहार सरकार बाजार उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली विकसित करने में असफल रही।

बिहार सरकार ने वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान बकाया देयता मोचन हेतु सृजित समेकित निक्षेप निधि में कुल बकाया देयता के न्यूनतम आवश्यक राशि (0.5 प्रतिशत) का योगदान नहीं दिया।

बिहार सरकार ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया। राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूति सीमा तय नहीं की गयी जैसा कि आई जी. ए.एस-1 में आवश्यक था।

1.13 अनुशंसाएँ

सरकार को चाहिए कि:

- राज्य की विकास संभावनाएँ बढ़ाने हेतु पूँजीगत व्यय के अंश को बढ़ाकर परिसंपत्ति सृजन करें;
- समय तथा लागत के अधिक व्यय से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु पहल करें;
- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन, अंतर्निहित/विमुक्त गारंटी इत्यादि पर डाटा बैंक का सृजन करें;
- प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करें तथा प्रत्याभूति रोधक सीमा भी तय करें;
- बाजार उधारी की उपयोगिता/अनुपयोगिता/प्रतिधारण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली विकसित करें तथा आवश्यकता पर आधारित उधारी का सहारा ले तथा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप केवल आधारभूत न्यूनतम नकद अधिशेष को प्रतिरोधक के रूप में अनुरक्षण करें।